[2018]5 S.C.R. 710

आयकर आयुक्त, चेन्नई
बनाम
एस अजीत कुमार
(2010 की सिविल अपील संख्या 10164) बी 02 मई, 2018

[आर.के.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा I58BB, 158 BH और 133A

- ब्लॉक अवधि की अघोषित आय

- आयकर विभाग द्वारा करदाता के परिसर में की गई तलाशी C की गणना - करदाता के घर का निर्माण करने वाले बिल्डर के परिसर में किया गया समवर्ती सर्वेक्षण - बिल्डर के परिसर में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया 95.16 लाख रुपये का नकद भुगतान - यदि करदाता के ब्लॉक मूल्यांकन में उपयोग किया जा सकता है - आयोजित: इसे ब्लॉक मूल्यांकन में करदाता की अघोषित आय के शीर्ष के तहत p_ जोड़ा जा सकता है - आकलन अधिकारी को ब्लॉक मूल्यांकन करते समय सर्वेक्षण या किसी अन्य विधि के दौरान एकत्र की गई या पाई गई प्रतिकूल सामग्री को लेने में उचित ठहराया गया था - इस प्रकार, आकलन अधिकारी द्वारा पारित आदेश बहाल हो गए।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158BB के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि ब्लॉक अवधि की अघोषित आय की गणना के उद्देश्य से, इसकी गणना केवल खातों की पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों और ऐसी अन्य सामग्रियों या जानकारी की खोज या मांग एफ के परिणामस्वरूप पाए गए साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है जो मूल्यांकन अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। और इस तरह के सबूतों से संबंधित है। धारा 158 बीबी ने सीमा निर्धारित की है जिसका पालन किया जाना है। इस प्रावधान से हटने की अनुमति नहीं है अन्यथा इससे G_निर्धारिती को नुकसान हो सकता है। यह कर कानून की शक्ति कि इसकी कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए। [पैरा 13] [717-ए-बी]

1.2 आईटी अधिनियम की धारा 133 ए के तहत सर्वेक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, किसी सर्वेक्षण में पाए गए/एकत्र किए गए किसी भी सामग्री या साक्ष्य, जो एक साथ के परिसर में किसी जुड़े हुए व्यक्ति के परिसर में किए गए हैं, का उपयोग आईटी अधिनियम की धारा 158 बीएच के साथ धारा 158 बीबी के तहत एक निर्धारिती के संबंध में ब्लॉक मूल्यांकन करते समय किया जा सकता है। यह अधिनियम की धारा 158 बीबी में होने वाले "और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी जो मूल्यांकन अधिकारी के पास उपलब्ध है और ऐसे साक्ष्य से संबंधित है" शब्दों के अंतर्गत आएगा। वर्तमान मामले में, आकलन अधिकारी को ब्लॉक मूल्यांकन करते समय सर्वेक्षण या किसी अन्य विधि के दौरान एकत्र की गई या पाई गई प्रतिकूल सामग्री को लेने के लिए उचित ठहराया गया था। लगाए गए आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और ब्लॉक मूल्यांकन करने वाले आकलन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को बहाल कर दिया जाता है। [पैरा 15, 17] [718-सी-डी, एफ] आयकर के सहायक आयुक्त और एक अन्य बनाम होटल ब्लू मून (2010) 3 एससीसी 259; आयकर आयुक्त बनाम जीके। 284 आईटीआर 220 आयकर आयुक्त बनाम एस अजीत कुमार (2008) 300 आईटीआर 152 (एमएडी); आयकर आयुक्त बनाम एनके लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड (2014) 365 आईटीआर 211 (एआईएल); आयकर आयुक्त बनाम बिमल ऑटो एजेंसी (2009) 314 आईटीआर 191 (गौहाटी); आयकर आयुक्त बनाम खुशलाल चंद निर्मल कुमार (2003) 263 आईटीआर 77 (एमपी); आयकर आयुक्त बनाम डॉ. रतन कुमार सिंह (2013) 357 आईटीआर 35 (एआईएल); आयकर आयुक्त, चेन्नई बनाम एसवी श्रीनिवासन (2017) एससीसी ऑनलाइन 17211 (एमएडी); आयकर आयुक्त बनाम पिनाकी मिश्रा (2017) 392 आईटीआर 347 (दिल्ली); आयकर आयुक्त बनाम आर.एम.एल. मेहरोत्रा (2010) 320 आईटीआर 403 (एआईएल); श्री मीनाक्षी मिल्स लि. आयकर आयुक्त, मद्रास (1957) 21 आईटीआर 28 (एस.सी.) आयकर आयुक्त वी. पी. वी. कल्याणसुंदरम (2007) 294 आईटीआर 49 (एस.सी.) आयकर आयुक्त वी. श्रीमती अनीता चौहान (2008) 296 आईटीआर 691 (मध्य प्रदेश); आयकर आयुक्त, पंजाब बनाम इंडियन वोल्लेन टेक्सटाइल मिल्स (1964) 51 आईटीआर 291 का संदर्भ। केस लॉ रेफरेंस (2010) 3 एससीसी 259 पैरा 6 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

[2018] 5 एससीआर को संदर्भित किया गया है।

पैरा 7 (2009) 314 आईटीआर 211 (एआईएल) को संदर्भित 284 आईटीआर 220 पैरा 7 (2008) 300 आईटीआर 152 (एमएडी) को संदर्भित पैरा 7 (2014) 365 आईटीआर 211 (एआईएल) को संदर्भित पैरा 7 (2009) 314 आईटीआर 191 (गौहाटी) पैरा 7 (2003) 263 आईटीआर 77 (एमपी) के संदर्भ में पैरा 7 (2013) 357 आईटीआर 35 (एआईएल) के संदर्भ में पैरा 7 (2013) 357 (2013) 357 आईटीआर 35 (एआईएल) के संदर्भ में संदर्भित पैरा 7 (2013) 357 (2013) (2007) _ पैरा 7 (2008) 296 आईटीआर 691 (एमपी) को संदर्भित पैरा 7 (2008) 296 आईटीआर 691 (एमपी) को संदर्भित पैरा 7 (1964) 51 आईटीआर 291 को पैरा 7

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की सिविल अपील संख्या 10164 के रूप में संदर्भित किया गया है। 2006 के कर मामले (अपील) संख्या 2620 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 22.11.2006 के निर्णय और आदेश से, 2010 के सिविल अपील संख्या 10165, 2013 के सिविल अपील संख्या 10917, 2015 के सिविल अपील संख्या 4449 और 5255 के साथ।

के. राधाकृष्णन, यशांक अध्यारू, आर. वी. ईश्वर, वरिष्ठ अधिवक्ता, रूपेश कुमार, शेखर व्यास, श्रीमती अनिल कटियार, बी. वी. बलराम दास, के. वी. मोहन, आर. के. राघवन, के. वी. बालाकृष्णन, कुणाल चीमा, अपूर्व शुक्ला, रूबल बंसल, रंजीत बी. राउत, श्रीमती बीना गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए। आई.टी., चेन्नई के आयुक्त एस. अजीत कुमार अदालत का फैसला आर. के. अग्रवाल, जे. 1 द्वारा सुनाया गया था यह अपील 2006 के कर मामले (अपील) संख्या 2620 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.11.2006 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "ट्रिब्यूनल") द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। इस अपील के साथ अन्य अपीलों को भी संलग्न किया गया है। चूंकि इन सभी अपीलों में विवादास्पद प्रश्न समान है, इसलिए इन सभी अपीलों को इस सामान्य निर्णय के माध्यम से निपटाया जाएगा।

संक्षिप्त तथ्य:-

2010 की सिविल अपील संख्या 10164

वर्तमान मामले के तथ्यों को उचित तरीके से समझने के लिए, उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि हम तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं जो निम्नानुसार है: -

क )यहां अपीलकर्ता राजस्व है जबकि प्रतिवादी निर्धारिती है।

ख) आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 17-07-2002 को निर्धारिती के परिसरों में तलाशी ली गई थी जो 21-08-2002 को समाप्त हुई थी। उसी तारीख को, एलिगेंट कंस्ट्रक्शंस एंड इंटीरियर्स लिमिटेड (जिसे बाद में 'मेसर्स ईसीआईएल' के रूप में संदर्भित किया गया) के परिसर में एक सर्वेक्षण हुआ था - बिल्डर और इंटीरियर डेकोरेटर जिसने वाल्मीकि नगर में निर्धारिती के घर का निर्माण और सजावट की थी।

ग) इसके अनुसरण में, यह तथ्य सामने आया कि निर्धारिती ने मकान के निर्माण के लिए उपर्युक्त ठेकेदार को नियुक्त किया था। वहीं, बिल्डर के परिसर में किए गए सर्वे से यह तथ्य सामने आया कि करदाता ने मेसर्स ईसीआईएल को 95,16,000 रुपये का नकद भुगतान किया था, जिसका कोई हिसाब नहीं था।

घ) कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 31-08-2004 के आदेश के तहत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक मूल्यांकन पूरा किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी कि उक्त राशि ब्लॉक अवधि की अघोषित आय के रूप में कर के योग्य है।

ङ) दिनांक 31.08.2004 के आदेश से असंतुष्ट होकर करदाता ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (अपील) ने दिनांक 15.02.2005 के आदेश के तहत यह माना कि यह उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट है।तलाशी कार्रवाई के कारण विभाग ने पाया था कि करदाता ने मैसर्स ईसीआईएल की सेवाएं ली थीं। इसलिए, ब्लॉक मूल्यांकन के आदेश को बरकरार रखा गया था।

च) असंतुष्ट होने के कारण, करदाता ने अपील के माध्यम से मामले को ट्रिब्यूनल के समक्ष लाया। अधिकरण ने दिनांक 28-04-2006 के आदेश के तहत कर निर्धारण अधिकारी और सीआईटी (अपील) के निर्णयों को निरस्त कर दिया और अपील की अनुमति दे दी।

छ) व्यथित होने के कारण, राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 22-11-2006 के आदेश के तहत अपील को खारिज कर दिया।

3. नतीजतन, राजस्व ने इस न्यायालय के समक्ष यह तत्काल अपील दायर की है।

4. पक्षकारों के वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुना और हमारे सामने रखे गए मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

विचारार्थ बिन्दु:-

5. इस अपील में विचार करने के लिए जो संक्षिप्त बिंदु उठता है वह यह है कि क्या वर्तमान तथ्यों और तत्काल मामले की परिस्थितियों के प्रकाश में, बिल्डर के परिसर में सर्वेक्षण के दौरान पाई गई सामग्री का उपयोग करदाता के ब्लॉक मूल्यांकन में किया जा सकता है?

प्रतिद्वंद्वी विवाद:

6. इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि तलाशी के परिणामस्वरूप एकत्र की गई सूचना इंटीरियर डेकोरेटर की नियुक्ति का विवरण नहीं है, बल्कि यह चेक भुगतान के अलावा किए गए नकद भुगतान के बारे में जानकारी है और करदाता द्वारा इसका हिसाब नहीं दिया गया है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया था कि विभाग में यह मानक प्रथा है कि जब किसी करदाता के मामले में तलाशी ली जाती है, तो कई संबंधित व्यावसायिक परिसर एक साथ सर्वेक्षण के तहत कवर किए जाते हैं। वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि हालांकि इसे एक सर्वेक्षण कहा जाता है, यह खोज प्रक्रिया का हिस्सा है और पूछताछ और जांच एक प्रक्रिया है। इसे उन सर्वेक्षणों से अलग किया जाना चाहिए जो स्टैंड-अलोन सर्वेक्षण हैं, जो किसी भी खोज से पूरी तरह से असंबद्ध हैं। अपने दावे की पुष्टि के लिए, वरिष्ठ वकील ने सहायक आयकर आयुक्त और अन्य बनाम होटल ब्लू मून (2010) 3 एससीसी 259 में इस न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया है और तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

[आर. के. अग्रवाल, जे.]

7. इसके विपरीत, निर्धारिती के वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम जीके मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने के बाद अपीलकर्ता की अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया। 284 आईटीआर 220 यह भी प्रस्तुत किया गया था कि मैसर्स ईसीआईएल के परिसरों में किए गए सर्वेक्षण में पाए गए नकद भुगतान का तथ्य ब्लॉक मूल्यांकन के दायरे में नहीं आता है। वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, अर्थात्, आयकर आयुक्त बनाम एस अजीत कुमार (2008) 300 आईटीआर 152 (एमएडी), आयकर आयुक्त बनाम एनके लैमिनेट्स पायट। लिमिटेड (2014) 365 आईटीआर 211 (सभी), आयकर आयुक्त बनाम बिमल ऑटो एजेंसी (2009) 314 आईटीआर 191 (गौहाटी), आयकर आयुक्त बनाम खुशलाल चंद निर्मल कुमार (2003) 263 आईटीआर 77 (एमपी), आयकर आयुक्त बनाम डॉ रतन कुमार सिंह (2013) 357 आईटीआर 35 (एआईएल), आयकर आयुक्त, चेन्नई बनाम एसके श्रीनिवासन (2017) आयकर आयुक्त बनाम पिनाकी मिश्रा (2017) 392 आईटीआर 347 (दिल्ली), आयकर आयुक्त बनाम आरएमएल मेहरोत्रा (2010) 320 आईटीआर 403 (सभी), श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (1957) 21 आईटीआर 28 (एससी), आयकर आयुक्त बनाम पीके कल्याणसुंदरम (2007) पंजाब बनाम इंडियन सूजे हुए वस्त्र मिल्स (1964) 51 आईटीआर 291. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, यह अपील सीमा पर खारिज किए जाने के योग्य है।

चर्चा:-

वर्तमान मामले 8.In, ब्लॉक मूल्यांकन की अवधि 01-04-1996 से 17-07-2002 तक है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 ए (संक्षिप्तता के लिए "आईटी अधिनियम") मूल्यांकन पूरा करने की प्रक्रिया प्रदान करती है जहां आईटी अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की जाती है या आईटी अधिनियम की धारा 132 ए के तहत खाते या अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति की मांग की जाती है।

9. यह कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि ब्लॉक मूल्यांकन में किसी भी आय को जोड़ने के लिए, आईटी अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी के दौरान या करदाता, रिश्तेदारों और / या व्यक्तियों के परिसर में एक साथ आयोजित किसी भी कार्यवाही में इसका सबूत पाया जाना चाहिए जो करदाता से जुड़े हैं और ऐसे करदाता के साथ लेनदेन / लेनदेन कर रहे हैं। वर्तमान मामले में, सुप्रीम कोर्ट की विवादास्पद रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

सवाल यह है कि क्या ब्लॉक असेसमेंट में करदाता की अघोषित आय के मद में 95.16 लाख रुपये के नकद भुगतान के तथ्य को जोड़ा जा सकता है।

10. इस मामले में करदाता के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी 17.07.2002 को ली गई और अंत में 21.08.2002 को समाप्त हुई। तलाशी के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चला कि करदाता ने 01-04-1996 से 17-07-2002 तक की ब्लॉक अवधि से संबंधित अपनी वास्तविक आय को कम करके दिखाया था। नतीजतन, आईटी अधिनियम की धारा 158 बीसी के तहत दिनांक 25-02-2003 को करदाता को एक नोटिस जारी किया गया और उसे ब्लॉक मूल्यांकन दाखिल करने के लिए कहा गया। ऐसे नोटिस के उत्तर में करदाता ने 11-08-2003 को रिटर्न दाखिल किया और अघोषित आय को शून्य के रूप में स्वीकार किया।

11. वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि करदाता द्वारा दाखिल रिटर्न के दौरान राजस्व को निवेश की लागत का खुलासा किया गया था। करदाता ने आकलन वर्ष 2001-2002 में करदाता और मेसर्स ईसीआईएल के बीच लेन-देन के विवरण का भी खुलासा किया। हालांकि, उन्होंने मैसर्स ईसीआईएल को किए गए 95,16,000 रुपये के नकद भुगतान का खुलासा नहीं किया था।

12. ब्लॉक अवधि की अघोषित आय की गणना करने की विधि आईटी अधिनियम की धारा 158 बीबी के तहत प्रदान की गई है। आईटी अधिनियम की धारा 158 बीबी और 158 बीएच के प्रासंगिक भाग को फिर से प्रस्तुत करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:

"158 बीबी। (1) ब्लॉक अवधि की अघोषित आय की अघोषित

आय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की खोज या मांग के परिणामस्वरूप पाए गए साक्ष्य के आधार पर गणना की गई ब्लॉक अवधि के भीतर विफल होने वाले पिछले वर्ष की कुल आय का कुल योग होगी और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी जो ब्लॉक के पास उपलब्ध है।आकलन अधिकारी और ऐसे साक्ष्य से संबंधित, जैसा कि कुल आय के कुल योग से कम हो, या, जैसा भी मामला हो, जैसा कि पिछले वर्ष के नुकसान के कुल योग से वृद्धि हुई है...

158 बीएच. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का अनुप्रयोग - इस अध्याय में यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध इस अध्याय के अधीन किए गए मूल्यांकन पर लागू होंगे।
(हमारे द्वारा दिया गया जोर)

13. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ब्लॉक अवधि की अघोषित आय की गणना करने के उद्देश्य से, इसकी गणना केवल लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों और ऐसी अन्य सामग्रियों या सूचनाओं की खोज या मांग के परिणामस्वरूप पाए गए साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है जो कर निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध हैं और ऐसे साक्ष्य से संबंधित हैं। धारा 158 बीबी ने सीमा निर्धारित की है जिसका पालन किया जाना है। इस प्रावधान से हटने की अनुमति नहीं है अन्यथा इससे करदाता को नुकसान हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह कर कानून की शक्ति की कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए।

14. तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 158 बीएच ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को अध्याय XIVB के अंतर्गत किए गए मूल्यांकनों पर लागू कर दिया है, सिवाय इसके कि इस अध्याय के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अध्याय XIV B, जो ब्लॉक मूल्यांकन से संबंधित है, होटल ब्लू मून (सुप्रा) में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया है: अध्याय XIV-B में नियमित मूल्यांकन या किए जाने वाले मूल्यांकन को प्रभावित किए बिना तलाशी के परिणामस्वरूप पता लगाई गई अघोषित आय के मूल्यांकन का प्रावधान है। ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खोज अनिवार्य शर्त है। विशेष प्रावधान अघोषित आय के विशिष्ट क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार किए गए हैं और स्पष्ट रूप से ब्लॉक अवधि में आने वाले पिछले वर्षों को कवर करने वाले नियमित आकलन के अतिरिक्त हैं। अध्याय XIV-B की विशेष प्रक्रिया का उद्देश्य अघोषित आय के मूल्यांकन का एक तरीका प्रदान करना है, जिसे तलाशी के परिणामस्वरूप पता लगाया गया है। यह नियमित मूल्यांकन के लिए एक विकल्प होने का इरादा नहीं है। इसका दायरा और दायरा उस अर्थ में खोज के दौरान खोजी गई सामग्रियों तक सीमित है। यह पहले से किए गए या किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन के अतिरिक्त है।ब्लॉक अवधि के लिए मूल्यांकन केवल खातों या दस्तावेजों की खोज या मांग के परिणामस्वरूप पाए गए साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी के आधार पर किया जा सकता है जो मूल्यांकन अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। इसलिए, अध्याय XIV-B के तहत ब्लॉक मूल्यांकन में मूल्यांकन योग्य आय वह आय है जिसका खुलासा नहीं किया गया है, बल्कि धारा 132 के तहत तलाशी या अधिनियम की धारा 132-ए के तहत मांग के परिणामस्वरूप पाया और निर्धारित किया गया है।

28. धारा 158-बीएच अधिनियम के अन्य प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान करती है। इसमें लिखा है: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एससीआर "158-बीएच। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का अनुप्रयोग- इस अध्याय में यथाउपबंधित उपबंधों को छोड़कर, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध इस अध्याय के अधीन किए गए मूल्यांकन पर लागू होंगे। यह एक सक्षम प्रावधान है, जो अधिनियम के सभी प्रावधानों को ब्लॉक मूल्यांकन के लिए कार्यवाही के लिए लागू करता है। विशेष रूप से शामिल किए गए प्रावधान वे हैं जो अधिनियम के अध्याय XIV-B में उपलब्ध हैं, जिसमें धारा 142 और धारा 143 की उप-धाराएं (2) और (3) शामिल हैं।

15. आईटी अधिनियम की धारा 133 ए के तहत सर्वेक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, सर्वेक्षण में पाए गए/एकत्र किए गए किसी भी सामग्री या साक्ष्य, जो एक साथ किसी जुड़े हुए व्यक्ति के परिसर में किए गए हैं, का उपयोग आईटी अधिनियम की धारा 158 बीएच के साथ धारा 158 बीबी के तहत एक निर्धारिती के संबंध में ब्लॉक मूल्यांकन करते समय किया जा सकता है। यह अधिनियम की धारा 158 बीबी में होने वाले "और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी जो मूल्यांकन अधिकारी के पास उपलब्ध है और ऐसे साक्ष्य से संबंधित है" शब्दों के अंतर्गत आएगा। वर्तमान मामले में, आकलन अधिकारी को ब्लॉक मूल्यांकन करते समय सर्वेक्षण या किसी अन्य विधि के दौरान एकत्र की गई या पाई गई प्रतिकूल सामग्री को लेने के लिए उचित ठहराया गया था।

16. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि करदाता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, वे सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं।

17. परिणाम में, सभी अपील सफल होती हैं और अनुमति दी जाती है। लगाए गए आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और ब्लॉक मूल्यांकन करने वाले आकलन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को बहाल कर दिया जाता है। हालांकि, पक्षकारो को अपनी लागत वहन करनी होगी।
निधि जैन की अपील की अनुमति।